

निगम भिलाई के कम्प्युटर आपरेटरों से शासन की योजना से जुड़ी एवं विभागीय कार्य लिया जाता है

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई में कार्यालय सहायक श्रमायुक्त के अनुसार प्लेसमेंट कम्प्युटर आपरेटर अनुसूची "ख" नियोजन भाग-1 के 45 नियोजन के अनुसार उच्चकुशल श्रेणी अंतर्गत आते हैं। कार्यालय श्रमायुक्त नवा रायपुर अटल नगर परिशिष्ट "ब" स्पष्टीकरण अनुसार जहां कर्मचारी खण्डदर पर नियोजन हो वहां खण्डदर इस प्रकार निर्मित की जावे, जो आठ घंटे दैनिक एवं छः दिन कार्य करने तथा एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो। कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, रायपुर छ.ग. के नियमानुसार निगम भिलाई में कार्यरत समस्त प्लेसमेंट कम्प्युटर आपरेटर से जोन एवं मुख्य कार्यालय के विभिन्न विभागों से कार्य लिया जाता है एवं शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं (अन्य पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण कार्य) एवं अन्य विभागीय जानकारियों के लिए शनिवार को कार्यालय बुलाकर कार्य लिया जाता है। जिसमें संबंधित विभाग के नियमित कर्मचारी उपस्थित रहते हैं। जोन एवं विभाग प्रमुख द्वारा कम्प्युटर आपरेटर का उपस्थिति पत्रक प्रमाणित कर डाटा सेंटर विभाग में प्रस्तुत किया जाता है व उपस्थिति पत्रक के आधार पर भुगतान किया जाता है।

